कार्यालय ज़िला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 1378 /सी0ए0डी0एम0/2017 इन्दौर, दिनांक 29 /05/2017

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कुछ प्राप्त शिकायतों के माध्यम से, व्हाट्स एप, ई मेल व अन्य माध्यमों से यह तथ्य ध्यान में लाया जा रहा है कि इन्दौर में कुछ मांगलिक भवन/मैरीज गार्डन पेट्रोल पम्प से लगे हुवे है । इन मांगलिक भवनों व मैरीज गार्डनों में आये दिन वैवाहिक व अन्य कार्यक्रम आयोजित होते रहते है तथा इन आयोजनों के दौरान यहां आतिशबाजी भी की जाती है । शिकायतों के माध्यम से यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि इन की जाने वाली आतिशबाजी की कोई चिंगारी यदि पेट्रोल पम्प में पहुचंती है तो भयानक हादसा हो सकता है तथा जिससे आम जन के जानमाल का खतरा बना हुवा है । उक्त आशंका के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है । यदि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है तो आम जन के जान माल को नुकसांन होकर लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं । इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु यह आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है । उक्त घटनाओं की आशंका के चलते जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है । अतएव इस प्रकार की घटना घटित न होने पायें, इस हेतु इन गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं **पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :-

यह कि इन्दौर जिले में ऐसे सभी मांगलिक भवनों/मैरीज गार्डनों जो पेट्रोल पम्प के 200 मीटर की परिधि में स्थित है, में आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया जाता है । ये प्रतिबंध केवल ऐसे सभी मांगलिक भवनों/मैरीज गार्डनों पर ही लागू होंगा जो किसी भी पेट्रोल पम्प के 100 मीटर की परिधि में स्थित है ।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य की सुरक्षा से जुड़ा व जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व इससे सम्बन्धित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अभियोजन किया जावेगा ।

यह आदेश दिनांक 29 /05/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 30 /05/2017 से दिनांक 27 /07/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा

(पी. नरहरि)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

क्रमांक / 1379 /टी.ए.डी.एम./ 2017 इन्दौर, दिनांक 29/05/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज इन्दौर ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
7. अपर कलेक्टर एवं अति0 जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी क्षेत्र, जिला इन्दौर ।
8. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/ झोन-1-2/ग्रामीण क्षेत्र ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल / सॉवेर /महू / देपालपुर/हातोद.
10. एस0डी0एम0, विजयनगर, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, राऊ, संयोगितागंज ।
11. एस0डी0ओ0 पुलिस, इन्दौर, डॉ0अम्बेकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज ।
13. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
14. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
16. शापिंग माल के स्वामी/प्रबन्धक...
17. निदेशक, आकाशवाणी, इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
18. थाना प्रभारी, थाना ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु ।
19. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)